IDBI BANK
CIN: L65190MH2004GOI148838

आई.डी.बी.आई बैंक लिमिटेड, एनएमजी विभाग एनवीसीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-2, 8वीं मंज़िल, प्लेट-बी, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली – 110023
दूरभाष सं0 : 011-69297689

सार्वजनिक सूचना
इरादतन चूककर्ताओं (विलफुल डिफॉल्टर) की घोषणा

क्र. सं.	नाम एवं फोटो	पता
1	संजय माहेश्वरी (सह-उधारकर्ता / प्रमोटर / निदेशक)	• 301, शिव मार्ग, बनी पार्क, रुक्मणी गार्डन, जयपुर – 302016 • मकान संख्या 229, अयोध्या पथ, खातीपुरा रोड, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान – 302021
2	कनक बियानी (प्रमोटर / निदेशक / गारंटर)	• 301, शिव मार्ग, बनी पार्क, रुक्मणी गार्डन, जयपुर – 302016 • मकान संख्या 229, अयोध्या पथ, खातीपुरा रोड, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान – 302021
3	राम स्वरूप बियानी (प्रमोटर / निदेशक)	• 301, शिव मार्ग, बनी पार्क, रुक्मणी गार्डन, जयपुर – 302016 • मकान संख्या 229, अयोध्या पथ, खातीपुरा रोड, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान – 302021

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त व्यक्तियों को आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ("बैंक") द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के "इरादतन चूककर्ताओं एवं बड़े चूककर्ताओं के व्यवहार संबंधी निर्देश, 2024" (दिनांक 30 जुलाई, 2024) के प्रावधानों के अनुसार "इरादतन चूककर्ताओं" घोषित किया गया है। उक्त व्यक्ति उधारकर्ता कंपनी सागा ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर / निदेशक / गारंटर हैं, जो दिनांक 01 दिसंबर, 2025 तक बैंक के प्रति ₹55.52 लाख की बकाया राशि तथा उस पर देय ब्याज एवं अन्य प्रभारों के भुगतान हेतु उत्तरदायी हैं, जो वसूली की तिथि तक देय रहेंगे।अतः जनहित में यह चेतावनी दी जाती है कि उपर्युक्त व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार के वित्तीय अथवा वाणिज्यिक लेन-देन करते समय उचित सावधानी एवं सतर्कता बरती जाए।

दिनांक: 18.06.2026
स्थान: नई दिल्ली

हस्ताक्षरित/-
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
आई.डी.बी.आई बैंक लिमिटेड एनएमजी – दिल्ली

यूनियन बैंक Union Bank of India

ओल्ड स्टेशन रोड, गुड़गांव ब्रांच, पता एससीओ 5, जेल कॉम्प्लेक्स, सोहना चौक, हरीश बेकरी के पास, गुड़गांव, हरियाणा पिन 122001
संपर्क नंबर: 9747394652 ईमेल आईडी: ubin0823732@unionbankofindia.bank.in

धारा 13 (2) के तहत डिमांड नोटिस — दिनांक : 03/06/2026

संदर्भ: खाता 237330100000919 — स्थान: गुरुग्राम

सेवा में
उधारकर्ता/ओं

1. **श्री सोहन लाल (उधारकर्ता/बन्धनकर्ता) पुत्र श्री अमर सिंह,** मकान नंबर 276, वार्ड नंबर 26, मनोहर नगर, पटौदी चौक के पास, गुड़गांव, हरियाणा 122001
2. **श्रीमती सुनीता देवी पत्नी सोहन लाल,** मकान नंबर 276, वार्ड नंबर 26, मनोहर नगर, पटौदी चौक के पास, गुड़गांव, हरियाणा 122001

महोदय/महोदया,

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(3) के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना।

आप,यहाँ प्रेषिती क्रमांक 1 एवं 2, ने हमारी ओल्ड स्टेशन रोड, गुड़गांव शाखा से निम्नलिखित ऋण सुविधाएँ प्राप्त की हैं और बकाया/किस्त/ब्याज का भुगतान करने/खातों का संतोषजनक संचालन करने में विफल रहे हैं, इसलिए, आय पहचान और विवेकपूर्ण लेखा मानदंडों के संबंध में आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, आपके खाते/खातों को 26.03.2025 को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 31.05.2026 तक आपके खाते/खातों में रु. 10,09,511.29 (दस लाख नौ हज़ार पाँच सौ ग्यारह रुपये और उनतीस पैसे मात्र)की राशि बकाया है।

उपरोक्त खाते/खातों के संबंध में आप में से नं.1 एवं 2 से बैंक को देय राशि का विवरण इस प्रकार है:

सुविधा का प्रकार	एनपीए की तिथि 26.03.2025 तक बकाया राशि	26.03.2025 से 31.05.2026 तक लागू न किया गया ब्याज	बैंक द्वारा वहन की गई लागत/प्रभार	कुल बकाया
आवास ऋण	7,91,645.29	1,23,664.00	94,202.00	10,09,511.29

बैंक को देय या देय होने वाले धन की अदायगी को सुरक्षित करने के लिए, **श्री सोहन लाल और श्रीमती सुनीता देवी पत्नी सोहन लाल** ने 26–04–2016 को दस्तावेज निष्पादित किए हैं और इस प्रकार सुरक्षा हित बनाया है:

नीचे वर्णित अचल संपत्ति का समतुल्य बंधक: –

श्री सोहन लाल (संपत्ति के मालिक) की रिहायशी ज़मीन और इमारत – यह संपत्ति हाउस नंबर 201 पर स्थित है, जिसका साइज़ 70 वर्ग गज है। यह खेवट/खाता नंबर 558/594, मुस्तिल नंबर 5, किला नंबर 6/2, द्रोणा पब्लिक स्कूल के पास, रवि नगर, मौजा कादीपुर, बसई रोड, गुड़गांव, हरियाणा–पिन 122001 में स्थित है और इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं:

पूर्व: 17 फीट चौड़ी सड़क — **पश्चिम:** श्रीमती शकुंतला देवी का प्लॉट
उत्तर: 16 फीट चौड़ी सड़क — **दक्षिण:** किसी वन्य की संपत्ति

अतः, आपको वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम,2002 की धारा 13(2)के अनुसार, कुल **रु. 10,09,511.29 (दस लाख नौ हज़ार पाँच सौ ग्यारह रुपये और उनतीस पैसे मात्र)** और बैंक शुल्क के साथ–साथ ऋण दस्तावेजों के नियमों और शर्तों के अनुसार अनुबंध दर पर अतिरिक्त ब्याज और शुल्क की राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है और इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन करें। ऐसा न करने पर, हम उक्त अधिनियम के तहत दिए गए किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करके उपरोक्त प्रतिभूतियों को लागू करने के लिए बाध्य होंगे।

अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, इस सूचना की प्राप्ति पर आपको बैंक की सहमति के बिना उपरोक्त प्रतिभूतियों का निपटान या लेन–देन करने से रोका/निषिद्ध किया जाता है।

आपका ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में सरफेसी की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

प्राधिकृत अधिकारी
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
.....भरोसे का प्रतीक ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

पंजाब नेशनल बैंक शक्ति नगर(152600), दिल्ली

दिनांक: 11.06.2026

अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस

सेवा में,
फ़रुख़ खान, पिता हनीफ़, मकान नंबर–9/3176, पहली मंज़िल, गली नंबर–4, गांधी नगर, धर्मपुरा, पूर्वी दिल्ली–110031।

विषय: वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे आगे अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 13(2) के अंतर्गत नोटिस

आपके अनुरोध पर, आपको बैंक द्वारा अपने शक्ति नगर शाखा के माध्यम से समय–समय पर बैंक के पक्ष में प्रतिभूति हित सृजित करने वाली विभिन्न आस्तियों के विरुद्ध वित्तीय सहायता के रूप में विभिन्न ऋण सुविधाएं प्रदान की गई हैं। उक्त ऋण सुविधाओं तथा आपके द्वारा निष्पादित प्रतिभूति समझौतों/दस्तावेजों के प्रासंगिक विवरण क्रमशः अनुसूची 'ए' तथा 'बी' में दिए गए हैं, जिनमें चल संपत्तियों की गिरवी शामिल नहीं है। आपने उक्त समझौतों/दस्तावेजों के अनुसार उक्त वित्तीय सहायता के पुनर्भुगतान के लिए वचनबद्धता के साथ वित्तीय सहायता प्राप्त की है।

2. आपने बैंक के पक्ष में कार का हाइपोथिकेशन का सुरक्षा हित भी बनाया है। ऐसे बंधक से संबंधित दस्तावेज भी अनुसूची श्बीश में दिए गए हैं।
3. सुरक्षित परिसंपत्तियों के प्रासंगिक विवरण अनुसूची 'सी' में विशेष रूप से दिए गए हैं।
4. आपने समय–समय पर शेष राशि की पुष्टि और पुनरुद्धार पत्र और अन्य दस्तावेजों को निष्पादित करके उपरोक्त ऋण सुविधाओं के संबंध में देयता के अस्तित्व को भी स्वीकार किया है। उपरोक्त वित्तीय सहायता/ऋण सुविधाओं का संचालन और संचालन अनियमित हो गया है और आपके द्वारा मूल ऋण और उस पर ब्याज की अदायगी में की गई चूक के परिणामस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिसंपत्ति वर्गीकरण से संबंधित निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार **30.05.2026** को ऋण को गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बार–बार अनुरोध करने के बावजूद, आप उक्त बकाया राशि/देयताओं का भुगतान करने में विफल रहे हैं और आपने इस ओर ध्यान नहीं दिया है।
5. इसलिए, बैंक इस नोटिस को जारी करके उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत आपसे इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर बैंक के प्रति अपनी नीचे बताई गई देनदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन करने का आह्वान करता है। बैंकों को आपकी बकाया देनदारियां (कुल मिलाकर) **11.06.2026** तक रु. **18,13,630/– (अठारह लाख तेरह हज़ार छह सौ तीस रुपये मात्र)** हैं। आप उक्त राशि पर संविदात्मक दर पर भविष्य में ब्याज, साथ ही आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार आदि भी का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी हैं।
6. यदि आप बैंक को **11.06.2026 तक रु. 18,13,630/– (अठारह लाख तेरह हज़ार छह सौ तीस रुपये मात्र)** की उक्त राशि, अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत इस नोटिस के अनुसार ऊपर बताए गए अतिरिक्त ब्याज और आकस्मिक व्यय, लागतों सहित चुकाने में असफल रहते हैं, तो बैंक धारा 13 की उपधारा (4) और उक्त अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों के तहत विस्तृत सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करेगा।
7. आपको यह भी सूचित किया जाता है कि धारा 13 की उपधारा 13 के अनुसार आप बैंक की लिखित सहमति प्राप्त किए बिना इस नोटिस की अनुसूची श्सीश में विस्तृत उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को बिक्री, पट्टे या अन्यथा द्वारा हस्तांतरित नहीं करेंगे।
8. **हम आपका ध्यान एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित करते हैं, जो उधारकर्ता/गारंटर को सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के बारे में बताता है।**
9. बैंक आपके द्वारा जारी और स्थापित बकाया बिल डिस्काउंटेड, बैंक गारंटी और क्रेडिट लेटर के साथ–साथ अन्य आकस्मिक देनदारियों के तहत उत्पन्न होने वाली देनदारियों को चुकाने के लिए आपको बुलाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
10. यह नोटिस बैंक के ऐसे अन्य कार्यों या कानूनी कार्यवाही शुरू करने के अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना है, जैसा कि वह कानून के किसी अन्य लागू प्रावधानों के तहत आवश्यक समझता है।

अनुसूची 'ए'
उधारकर्ता का नाम: फ़रुख़ खान , खाता संख्या–152600NG00004179

क्रम सं.	सुविधा की प्रकृति	11.06.2026 तक बकाया राशि (31.05.2026 तक के ब्याज सहित); ब्याज दर 8.05: सालाना (एनपीए की तारीख, यानी 30.05.2026 को लागू दर)	दंडात्मक ब्याज (साधारण)	बैंक द्वारा वहन की गई लागत/प्रभार
1.	टर्म लोन	रु. 18,13,630/–	इस तारीख तक कुछ नहीं (Nil)	इस तारीख तक कुछ नहीं (Nil)
	कुल राशि (रु. में)	रु. 18,13,630/–	इस तारीख तक कुछ नहीं (Nil)	इस तारीख तक कुछ नहीं (Nil)

अनुसूची 'बी'
दस्तावेज़ों की सूची

क्रम सं.	दस्तावेज का नाम	सुरक्षा की प्रकृति	निष्पादन की तिथि	सुरक्षित राशि (रु.)
1.	दृष्टिबंधक का पत्र	वाहन	15.12.2025	18,00,000/–
2.	मास्टर एग्रीमेंट	वाहन	15.12.2025	18,00,000/–

अनुसूची 'सी'
श्री फारुख खान के नाम पर महिंद्रा स्कॉर्पियो–ND AT 2WD Z8S7S (रजिस्ट्रेशन नंबर DL8CBL0169, चेसिस नंबर MA1TJ2YGTS6L68203, इंजन नंबर YGS4K78038) को दृष्टिबंधक करना।

दिनांक: 11.06.2026 — पंजाब नेशनल बैंक
स्थान: दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम — A Government of India Undertaking
Syndicate

आस्ति वसूली प्रबंधन (एआरएम) शाखा, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005
फोन–011-28751723, 28754731
ईमेल : cb2365@canarabank.com

कब्जा सूचना [धारा 13(4)]
(अचल संपत्ति के लिए)

जबकि,
अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम 54) (जिसे इसके बाद ''अधिनियम'' कहा गया है) के अंतर्गत केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक मांग सूचना तिथि 13.03.2026 जारी की थी जिसमें ऋणधारकों (1) मैसर्स वेद प्रकाश हरीश चंद (2) श्री विकास गुप्ता, (3) श्रीमती सुमन गुप्ता (दिवंगत भागीदार स्वर्गीय श्री हरीश चंद गुप्ता की कानूनी वारिस), (4) श्री पराग गुप्ता (दिवंगत भागीदार स्वर्गीय श्री हरीश चंद गुप्ता के कानूनी वारिस), (5) श्रीमती प्रियंका अग्रवाल (दिवंगत भागीदार स्वर्गीय श्री हरीश चंद गुप्ता की कानूनी वारिस), तथा (6) श्रीमती सुरभि गोयल (दिवंगत भागीदार स्वर्गीय श्री हरीश चंद गुप्ता की कानूनी वारिस) से उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर केनरा बैंक को देय सूचना में उल्लिखित राशि रु. 58,75,157.41/– (रुपये अट्ठावन लाख पिचहत्तर हजार एक सौ सत्तावन और इकतालीस पैसे मात्र) तथा उसके बाद का आगे का ब्याज और व्यय घटाकर यदि कोई वसूली हुई हो तो, चुकाने का आह्वान किया गया था। ऋणधारक राशि चुकाने में विफल रहा है, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/कानूनी वारिसों और आम जनता को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 तथा 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 20 जून 2026 को यहाँ नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारक/कानूनी वारिसों और आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे संपत्ति/आस्तियों के साथ कोई लेन–देन न करें और संपत्ति/आस्तियों के साथ किया गया कोई भी लेन–देन रु. 58,75,157.41/– (रुपये अट्ठावन लाख पिचहत्तर हजार एक सौ सत्तावन और इकतालीस पैसे मात्र) की राशि तथा उसके बाद का आगे का ब्याज और व्यय घटाकर यदि कोई वसूली हुई हो तो, उसके लिए केनरा बैंक के प्रभाराधीन होगा। प्रतिभूत परिसंपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में ऋणधारक का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

प्रतिभूति आस्तियों का विवरण

क्र. सं.	अचल	संपत्तिस्वत्व धारी का नाम	सरसई (CERSAI) विवरण
1.	वाणिज्यिक संपत्ति, संपत्ति संख्या 594 का भाग, भूतल की दुकान, वार्ड नं. VII, श्रद्धा नंद मार्केट, जी. बी. रोड, दिल्ली 110006 में स्थित। मूल्यांकन के अनुसार सीमाएं :– उत्तर : संपत्ति संख्या 594 का भाग दक्षिण : संपत्ति संख्या 594ए पूर्व : अन्य संपत्ति पश्चिम : प्रवेश/गली वाणिज्यिक संपत्ति, संपत्ति संख्या 594ए का भाग, भूतल की दुकान, वार्ड नं. VII, श्रद्धा नंद मार्केट, जी. बी. रोड, दिल्ली 110006 में स्थित। मूल्यांकन के अनुसार सीमाएं :– उत्तर : संपत्ति सं. 594 का भाग दक्षिण : संपत्ति सं. 595 पूर्व : अन्य संपत्ति पश्चिम : प्रवेश/गली सीमाएं :– विक्रय विलेख के अनुसार उत्तर : लिंक रोड दक्षिण : नदीम की कृषि भूमि पूर्व : नजरूल आदि की कृषि भूमि पश्चिम : हाजी भूरे आदि की कृषि भूमि	श्री विकास गुप्ता पुत्र स्वर्गीय श्री वेद प्रकाश गुप्ता तथा स्वर्गीय श्री हरीश चंद गुप्ता पुत्र स्वर्गीय श्री उमराव सिंह	सरसई आस्ति आईडी (CERSAI ASSET ID)– 200036829906 प्रतिभूति हित आईडी (Security Interest ID)– 400036894897 सरसई (CERSAI) विवरण सरसई आस्ति आईडी (CERSAI ASSET ID) – 200013497182 प्रतिभूति हित आईडी (Security Interest ID)– 400013525855
क्र. सं.	**चल**	**संपत्तिस्वत्व धारी का नाम**	**सरसई आस्ति**
1.	स्टॉक का दृष्टिबंधन मूल्य – रु. 39,72,458/– बुक डेट (बही ऋण) का दृष्टिबंधन मूल्य– रु. 1,16,31,095/–	मैसर्स वेद प्रकाश हरीश चंद	आईडी (CERSAI ASSET ID) – 200013497289 प्रतिभूति हित आईडी (Security Interest ID)– 400013525962

तिथि : 20–06–2026
स्थान : दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
.....भरोसे का प्रतीक ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा दक्षिण दिल्ली
4वां तल, 7 पी.एन.बी. हाऊस भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली–110066 ईमेल: cs4168@pnb.bank.in

अचल सम्पत्तियों की ई–नीलामी हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस,
आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का सांकेतिक/वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार), प्रतिभूत लेनदार पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर बेचा जाएगा। बकाया राशि की वसूली, कर्जदार(रों) और गारंटर(रों), आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार

प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसूची

क्र. सं.	शाखा का नामः / खाते का नामः / उधारकर्ता/गारंटर/खाते का नाम और पताः	बंधक रखी गई अचल संपत्ति का विवरण/ मालिक का नाम (संपत्तियों का बंधककर्ता)	(E) सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि / (F) मांग नोटिस के अनुसार राशि / (G) सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि / (H) कब्जा की स्थिति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	(A) आरक्षित मूल्य / (B) ईएमडी / (C) बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि एवं समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात एन्कम्ब्रेन्स का विवरण	प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं नं.
1.	**पीएनबी कैलाश कॉलोनी शाखा (080210)** **मैसर्स आर्यन इंफ्राहाइट प्रा. लिमिटेड निदेशक** **1.श्री प्रभात कुमार** **2.श्रीमती तनु प्रभा** **पंजीकृत पताः** बी–27 प्रथम तल सेक्टर–64 गौतमबुद्ध नगर यूपी–201307 और–ए4–201,आम्रपाली टाइटेनियम (प्लैटिनम) सेक्टर–119 नोएडा यू.पी.–201301	1. फ्लैट नंबर–ए–4/301 तीसरी मंजिल का ईएम, मोहल्ला थम्मू नगर पंचायत चौमुहा, तहसील छाता, आम्रपाली कान्हा अपार्टमेंट, जिला–मथुरा यूपी, मेसर्स आर्यन इंफ्राहाइट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर। सुपर एरिया – 100 वर्ग मीटर, सीमाएँ इस प्रकार हैं ईस्ट–टावर A–9 वेस्ट–रोड नॉर्थ–रोड साउथ–टावर A–5	E) 28.10.2024 F) Rs.259.01 लाख प्लस भविष्य का ब्याज एवं अन्य प्रभार G) 20.02.2025 H) भौतिक	A) रु. 12.75 लाख B) रु. 1.275 लाख C) रु. 20,000/-	**17.07.2026** को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	एसए फाइल किया गया है, लेकिन पब्लिकेशन की तारीख तक प्रॉपर्टी की बिक्री पर कोई रोक नहीं है।	श्री ओम प्रकाश भालोटिया 9453035426
		2. फ्लैट नंबर–बी–11/302 की ईएम तीसरी मंजिल खसरा नंबर–558 मौजा चौमुहां कुल क्षेत्रफल 69.67 वर्ग मीटर आम्रपाली कान्हा अपार्टमेंट तहसील–छाता जिला–मथुरा यूपी मेसर्स आर्यन इंफ्राहाइट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर। चौहद्दी: पूर्व– आम्रपाली की प्रॉपर्टी पश्चिम– टॉवर B–6 उत्तर– टॉवर B–12 दक्षिण– टॉवर B–10	E) 03.03.2025 F) Rs.259.05 लाख प्लस भविष्य का ब्याज एवं अन्य प्रभार G) 20.08.2025 H) भौतिक	A) रु. 10.20 लाख B) रु. 1.02 लाख C) रु. 20,000/-	**17.07.2026** को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	एसए फाइल किया गया है, लेकिन पब्लिकेशन की तारीख तक प्रॉपर्टी की बिक्री पर कोई रोक नहीं है।	श्री ओम प्रकाश भालोटिया 9453035426
2.	**(पूर्व में: बसंत लोक शाखा में, अब हौज खास में) नई दिल्ली** **मैसर्स हान्सबेरी (उधारकर्ता)** **पंजीकृत कार्यालयः** डीएलएफ होम्स, वन होराइजन सेंटर, लेवल–18, गोल्फ कोर्स रोड, डीएलएफ फेज–V, गुरुग्राम, हरियाणा – 122001 **इसके अलावाः** प्लॉट नं. –340, सेक्टर–7, आईएमटी, मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा – 122050 **श्री धीरज यादव पुत्र श्री ओम प्रकाश यादव (प्रोपराइटर)** मकान संख्या 985, सेक्टर–04, गुरुग्राम, हरियाणा – 122001 **श्रीमती शांति देवी पत्नी श्री दलीप सिंह** (गारंटर/बंधककर्ता) मकान संख्या 985, सेक्टर–04, गुरुग्राम, हरियाणा – 122001	साम्यिक बंधक संपत्ति – हाउस नंबर 985, सेक्टर–4, गुड़गांव, हरियाणा में स्थित (क्षेत्रफल लगभग 500 वर्ग गज) श्रीमती शांति देवी पत्नी दिलीप सिंह के नाम पर।	E) 02-12-2019 और फिर 19-05-2025 को F) Rs.182.75 लाख + भविष्य का ब्याज एवं अन्य प्रभार G) 29.01.2022 और 22.08.2025 H) सांकेतिक	A) रु. 654.50 लाख B) रु. 65.45 लाख C) रु. 1.00 लाख	**31.07.2026** को प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं	श्री ओम प्रकाश भालोटिया 9453035426

ई–नीलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्तें : बिक्री, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। 1. नीलामी बिक्री "ई–नीलामी" पोर्टल **https://baanknet.com** के माध्यम से ऑनलाइन होगी। (2) ई–नीलामी के लिए प्लेटफॉर्म (**https://baanknet.com**) ई–नीलामी सेवा प्रदाता मेसर्स पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट 1, तीसरी मंजिल, VIOS कमर्शियल टॉवर, वडाला ट्रक टर्मिनल के पास, वडाला ईस्ट मुबई–400037 (हेल्पडेस्क नं. 91 8291220220), द्वारा प्रदान किया जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को ई–नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट **https://baanknet.com** पर ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना आवश्यक है। यह सेवा प्रदाता पोर्टल पर ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रदर्शन/प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा। (3) बिक्री की सामान्य शर्तों और नियमों से युक्त बिक्री नोटिस निम्नलिखित वेबसाइटों/वेब पेज पोर्टल **(1) https://baanknet.com (2) www.pnbindia.in** पर उपलब्ध/प्रकाशित है। (4) सफल बोलीदाता द्वारा बैंक को बिक्री प्रतिफल का भुगतान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194–1ए के अंतर्गत टीडीएस के अधीन होगा तथा सफल बोलीदाता द्वारा बोली राशि का शेष 75: जमा करने/बोली राशि की पूर्ण जमा करने के समय ही टीडीएस का भुगतान किया जाना है। (5) संपत्तियों को ''जहां है जैसी है'' और ''जो है जैसी है'' तथा ''जो भी है जैसी है'' के आधार पर बेचा जा रहा है। (6) उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। (7) सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के तहत नोटिस, और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ के सभी मामलों में जारी किया गया है, (8) बिक्री की विस्तृत शर्तों के लिए, कृपया **https://baanknet.com & www.pnbindia.in** देखें।

दिनांक : **24.06.2026**, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
.....भरोसे का प्रतीक ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

परिसंपत्ति वसूली प्रबंधन शाखा, गुरुग्राम
पता : प्लॉट नं. 5, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर–32, गुरुग्राम – 122001, ई–मेल : cs8230@pnb.bank.in

अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई–नीलामी विक्रय सूचना।
एतद्द्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में ऋणकर्ता(ओं) एवं गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत / प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्तियां, जिनका रचनागत/भौतिक/सांकेतिक अधिग्रहण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा कर लिया गया है, का विक्रय संबंधित ऋणकर्ता(ओं) एवं गारंटर(रों) की ओर से बैंक / प्रतिभूत ऋणदाता को देय–भुगतेय इनकी बकाया देयराशियों की वसूली के लिए, यहां इसमें निम्न तालिका में अंकितानुसार तिथि पर ''जैसी हैं जहां हैं'', ''जैसी हैं जो हैं'' तथा ''वहां जो कुछ भी हैं'' आधार पर किया जाएगा। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि जमा, संबंधित संपत्तियों के समक्ष निम्न तालिका में अंकितानुसार होंगे।

प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विक्रय की अनुसूची

क्र. सं.	खाता का नाम / ऋणकर्ता / गारंटरों का नाम एवं पता, / खाता / शाखा का नाम	बंधककृत अचल संपत्तियों का विवरण / स्वामी का नाम (संपत्ति(यों) के बंधककर्तागण)	''1. सरफॉएसि अधि. 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि / 2. तिथि के अनुसार बकाया राशि / 3. अधिग्रहण की प्रकृति/तिथि''	''क. आरक्षित मूल्य (रु. लाख में) / ख. धराज (लाख में) / ग. बोली वृद्धि राशि (लाख में)	ई–नीलामी की तिथि/समय	प्रतिभूत ऋणदाताओं को ज्ञात ऋणभारों के विवरण तथा प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं संपर्क नं.
1.	सुनहरी फ्लोर मिल्स, प्रोप. श्री राम कुमार, प्लॉट नं. 9ए, डाबुआ, गाजीपुर रोड, फरीदाबाद 1. श्रीमती सुरेश पत्नी श्री राम बीर सिंह, प्लॉट नं. 14, वार्ड नं. 9, गाँव गाजीपुर, फरीदाबाद एवं 2. श्रीमती मुनेश देवी पत्नी श्री राम कुमार, प्लॉट नं. 14, वार्ड नं. 9, गाँव गाजीपुर, फरीदाबाद शाखा कार्यालय :– एआरएमबी, गुरुग्राम (823000) / (एन एच पार्क फरीदाबाद (076510)	फ्री होल्ड प्लॉट नं.–9ए, माप 500 वर्ग गज, अधिमापन 50'90, जिसमें खेवट संख्या 951, खतौनी संख्या 1156, रेक्ट नं. 374, किला संख्या 13/1, 18/3, 19, 23/1, खेवट संख्या 952, खतौनी संख्या 1159, रेक्ट नं. 37, किला संख्या 10/2, 11, 12 शामिल हैं, जो मौजा डबुआ, एनआईटी फरीदाबाद, तहसील व जिला फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित है, जिसकी स्व